

## राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता

बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल) को भारत के विद्युत क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आईपीपीआई अवॉर्ड्स 2026 में तीन प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार 26वें रेगुलेटर्स एंड पॉलिसीमेकर्स रिट्रीट (आरपीआर) के दौरान 10 जनवरी 2026 को बेलगाम, कर्नाटक में प्रदान किए गए। बीवाईपीएल को निम्नलिखित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया:

- उपभोक्ता जागरूकता को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ वितरण कंपनी—प्रथम उपविजेता
- सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली वितरण कंपनी (जॉइंट वेंचर)—प्रथम उपविजेता
- सीएसआर पहलों के लिए इनोवेशन अवॉर्ड (बीआईपीएल के साथ) से सम्मानित किया गया, जो सीएसआर गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया गया।

यह कार्यक्रम इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईपीपीआई) द्वारा आयोजित किया गया था, ताकि असाधारण योगदानों को मान्यता, इनोवेशन को प्रोत्साहन, और भारत के विद्युत क्षेत्र में सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को बढ़ावा दिया जा सके।

ये सम्मान बेहतर संचालन, उपभोक्ता सेवाओं और स्थायी विकास के प्रति बीएसईएस की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।



## दृढ़ता पर रखी आपकी फिक्स्ड डिपॉजिट

सूरज की शक्ति का इस्तेमाल करें, और अपना बिजली का बिल शून्य करें!\*

सोलर अपनाने के लिए हमसे संपर्क करें:

|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| ☎ कॉल:      | 19122 (Ext 3)                           |
| ✉ मिसड कॉल: | 9871608800                              |
| ✉ ईमेल:     | netmetering.bypl@reliancegroupindia.com |
| 🌐 वेबसाइट:  | https://byplws.bsesdelhi.com:8890/      |

\*नियम और शर्तें लागू

## सुरक्षा अलर्ट:

खुद की सुरक्षा के लिए बिजली उपकरणों से उचित दूरी बनाए रखें



दिल्ली में बड़े पैमाने पर निर्माण संबंधी गतिविधियां हो रही हैं। इनमें से कई आवास और अनाधिकृत निर्माण/विस्तार, कई कॉलोनीयों में खतरनाक ढंग से डिस्कॉम के ओवरहेड लो वोल्टेज (एलवी), हाई वोल्टेज (एचवी), एक्सट्रा हाई वोल्टेज (ईएचवी) लाइनों और बिजली के इंस्टॉलेशन के करीब आ गए हैं। यह केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की धारा 62 और 63 का सीधा उल्लंघन है। (सुरक्षा व बिजली आपूर्ति से संबंधित पैमानों) नियमावलियां, 2023 ("सीईए सेफ्टी रेगुलेशंस, 2023"), जिसे इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट 2003 की धारा 53 व 68 (5), तथा धारा 161 के साथ पढ़ा जाए, जिनमें समय-समय पर संशोधन होता रहा है।

इमारतों के विस्तार, ढांचे, प्रोजेक्शंस, बालकनी, छज्जा या बाउंड्री वॉल आदि के लिए यह आवश्यक है कि वे प्रावधानों के अनुसार, बिजली के इंस्टॉलेशनों से न्यूनतम वर्टिकल व हॉरिजेंटल दूरी बनाए रखें।

| लाइन/उपकरण                                                               | न्यूनतम उचित दूरी जहां लाइन किसी मवन/ढांचे/बालकनी आदि के ऊपर से गुजरती है | न्यूनतम समतलदूरी/हॉरिजेंटल क्लियरेंस जहां लाइन किसी बिल्डिंग/ढांचे/बालकनी आदि के निकट से गुजरती है |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 650 वोल्ट्स तक के वोल्टेज की लाइनें                                      | उच्चतम पॉइंट से 2.5 मीटर                                                  | निकटतम पॉइंट से 1.2 मीटर                                                                           |
| हाई वोल्टेज लाइन जो 650 वोल्ट से अधिक हो और जो 11000 वोल्ट तक या सहित हो | उच्चतम पॉइंट से 3.7 मीटर                                                  | निकटतम पॉइंट से 1.2 मीटर                                                                           |
| हाई वोल्टेज लाइन जो 11000 वोल्ट से अधिक हो तथा 33000 वोल्ट तक व सहित हो  | उच्चतम पॉइंट से 3.7 मीटर                                                  | निकटतम पॉइंट से 2 मीटर                                                                             |
| एक्सट्रा हाई वोल्टेज लाइन 33 कैंवी वोल्ट से ऊपर                          | 3.7 मीटर (तथा 0.30 मीटर, हर अतिरिक्त 33000 वोल्ट या उसके भाग पर)          | 2 मीटर (तथा 0.30 मीटर, हर अतिरिक्त 33 कैंवी या उसके भाग पर)                                        |

ये नियम आपकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, ताकि दुर्घटनाओं, प्राणघातक हादसों और बिजली आपूर्ति में बाधाओं को टाला जा सके।

बीएसईएस एक बार फिर ऐसे अनाधिकृत निर्माणों का स्वामित्व रखने वालों से अनुरोध करती है कि वे तुरंत अपने अवैध और अनाधिकृत निर्माणों को बिजली की लाइनों व उपकरणों के पास से हटा लें। उपरोक्त नियमावलियों का उल्लंघन करने वाले किसी भी प्रत्यक्ष या परोक्ष हानि (जीवन, संपत्ति, आदि से जुड़ी) के लिए व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार होंगे और निर्धारित कानूनों के तहत कार्रवाई किए जाने के हकदार होंगे।